रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जुलाई, 2003/30 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 21 जुलाई, 2003

संख्या वि0 स0 लैज0–गवरनमैंट बिल/1–80/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन)

1650–राजपत्र/2003–21–7–2003—1,390,

मूल्य : 1 रुपया ।

विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक–16) जो आज दिनांक 21 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

2003 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2003.

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन)अधिनियम, 2003 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम,1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष प्रतिमास पन्द्रह हजार रूपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

1971 का 8

(1-क) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रूपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।" ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) उपाध्यक्ष प्रतिमास ग्यारह हजार रूपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

1971 का 8

(1-क) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रूपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।'' ।

धारा 4-क का लोप ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-क का लोप किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

''परन्तु यह कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जो इस उप-धारा के अधीन टेलीफोन स्थापित करता है, सात हजार रुपए प्रतिमास टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन और भत्तों को बढ़ाने के साथ-साथ पांच हजार रूपए प्रतिमास की दर से प्रतिपूरक भत्ता भी संदत्त करना आवश्यक समझा गया है । उन्हें देय सत्कार भत्ता समाप्त करने और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर किसी भी स्थान पर या उनके स्थाई निवास स्थानों पर स्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों के व्यय की पूर्ति के लिए टेलीफोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर सात हजार रूपए प्रतिमास की दर से टेलीफोन भत्ता देना भी आवश्यक समझा गया है । इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख.....

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 5 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 3.75 लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

---शून्य---

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या: जी.ए.डी-सी (पी.ए.) (4)-24/94-II)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2003 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4)का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला

तारीख .....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2003

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty– fourth Year of the Republic of India, as follow:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2003.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter called the "principal Act"),for sub-section (1),the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of fifteen thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971. 4 of 1971.

(1-A) The Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

Amendment of section 3.

3. In section 4 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

" (1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of eleven thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971. 4 of 1971

(1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

4. Section 4-A of the principal Act shall be omitted. Ommission of section 4-A.

5. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the existing first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— Amendment of section 8.

" Provided that the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, who installs a telephone under this sub-section shall be paid a telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.".

RECOMMENDED

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Speaker and the Deputy Speaker, as public representatives have to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries and allowances and also to pay a compensatory allowance at the rate of Rs. 5000/- per mensem. It has also been decided to do away with the sumptuary allowance payable to them and also to provide telephone allowance at the rate of Rs. 7000/-per month instead of reimbursement of telephone charges to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within their constituencies or at their permanent places of residence. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The ____ *July,* 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3 and 5 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 3.75 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——Nil——

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[(GAD File No. GAD-C (PA) (4)-24/94-II]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2003.

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J.L.GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The _____ *July*, 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित